

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 2501

(सोमवार, 04 अगस्त, 2025/13 श्रावण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए)

सीएसआर पोर्टल में कंपनियों द्वारा सीएसआर व्यय का प्रकटीकरण

2501. श्री कार्ती पी. चिदम्बरमः

क्या कारपोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) पिछले पाँच वर्षों के दौरान कंपनियों द्वारा किए गए कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यय का राज्यवार/ज़िलावार, वर्षवार, श्रेणीवार और कंपनीवार ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार का इस जानकारी को आधिकारिक सीएसआर पोर्टल और ओपन गवर्नमेंट डेटा (ओजीडी) प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यवस्थित, अद्यतन और खोज योग्य तरीके से उपलब्ध कराने का विचार है;
- (ग) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और
- (घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सङ्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क) से (घ): सीएसआर ढांचा प्रकटीकरण आधारित है और सीएसआर अधिदेशित कंपनियों को एमसीए21 रजिस्ट्री में वार्षिक रूप से सीएसआर कार्यकलापों का ब्यौरा प्रस्तुत करना अपेक्षित है। मंत्रालय के पास सीएसआर डाटा पोर्टल है और कंपनियों द्वारा एमसीए21 रजिस्ट्री में राज्य-वार, जिला-वार, वर्ष-वार, विकास क्षेत्र-वार और कंपनी-वार सहित फाइल सीएसआर से संबंधित सभी आंकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं और इन्हें [www.csr.gov.in](http://www.csr.gov.in) पर देखा जा सकता है। एमसीए21 रजिस्ट्री में कंपनियों द्वारा की गई वार्षिक फाइलिंग के आधार पर, वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2023-24 तक पिछले पांच वित्तीय वर्षों के लिए देश में राज्य-वार और विकास क्षेत्र-वार सीएसआर व्यय क्रमशः अनुलग्नक- । और अनुलग्नक- ॥ में संलग्न हैं। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय द्वारा ओपन गवर्नमेंट डेटा (ओजीडी) प्लेटफॉर्म को कोई सीएसआर डेटा साझा नहीं किया जा रहा है क्योंकि सभी प्रासंगिक डेटा सीएसआर डेटा पोर्टल पर उपलब्ध हैं।

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 04.08.2025 को उत्तर देने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2501 के भाग (क) का संदर्भ लें।

वित वर्ष 2019-20 से वित वर्ष 2023-24 तक राज्यवार सीएसआर व्यय

(राशि करोड़ रुपए में)

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1.29	2.86	9.71	2.53	3.03
2.	आंध्र प्रदेश	710.23	719.81	663.50	986.77	1,129.75
3.	अरुणाचल प्रदेश	18.02	10.58	119.42	13.36	39.57
4.	असम	285.00	180.23	406.42	474.96	488.62
5.	बिहार	110.48	89.89	178.97	241.41	260.53
6.	चंडीगढ़	15.58	13.40	51.19	18.44	113.31
7.	छत्तीसगढ़	269.68	325.63	317.70	609.08	422.73
8.	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	27.88	27.23	18.27	23.22	30.17
9.	दिल्ली	830.00	724.59	1,198.50	1,517.07	1,949.95
10.	गोवा	43.91	41.92	45.43	60.91	85.79
11.	गुजरात	984.37	1,461.60	1,613.18	2,060.02	2,707.54
12.	हरियाणा	537.91	550.86	687.13	720.38	816.95
13.	हिमाचल प्रदेश	78.78	106.31	140.27	141.40	148.59
14.	जम्मू और कश्मीर	25.27	35.56	50.68	72.19	98.54
15.	झारखण्ड	155.21	226.54	243.95	389.65	414.63
16.	कर्नाटक	1,448.16	1,277.81	1,849.82	2,058.73	2,254.88
17.	केरल	298.56	290.67	241.58	362.85	387.91
18.	लक्षद्वीप		0.01	0.97	0.02	0.36
19.	लेह और लद्दाख			14.84	11.72	30.41
20.	मध्य प्रदेश	220.46	375.51	427.48	668.32	600.47
21.	महाराष्ट्र	3,353.24	3,464.81	5,407.40	5,705.54	6,065.95
22.	मणिपुर	14.21	10.39	15.62	53.60	83.19
23.	मेघालय	17.65	17.63	19.63	22.94	30.94
24.	मिजोरम	0.25	0.97	6.94	11.01	4.48
25.	नागालैंड	5.10	3.57	12.46	13.57	15.41
26.	ओडिशा	717.39	578.16	752.37	994.82	1,389.39
27.	पुडुचेरी	11.32	12.43	9.31	14.29	32.68
28.	पंजाब	189.44	158.46	185.41	263.51	351.89
29.	राजस्थान	734.12	670.00	713.85	1,122.65	1,145.67
30.	सिक्किम	10.99	17.28	28.24	36.18	41.87
31.	तमिलनाडु	1,072.26	1,174.07	1,441.03	1,637.12	1,968.76
32.	तेलंगाना	445.80	627.71	688.58	1,040.61	1,054.92
33.	त्रिपुरा	9.40	9.29	15.91	19.26	9.45
34.	उत्तर प्रदेश	577.98	907.32	1,345.02	1,213.12	1,545.01
35.	उत्तराखण्ड	124.70	160.58	228.09	307.60	360.76
36.	पश्चिम बंगाल	423.85	471.48	571.89	782.74	862.57
37.	पैन इंडिया*	9,385.66	7,805.03	5,789.58	6,104.58	6,960.21
38.	अन्य केंद्रीकृत निधि	1,790.69	3,491.30	1,631.01	1,145.78	1,000.83
39.	एनईसी/उल्लेख नहीं किया गया	20.97	169.47	0.09	10.12	1.06
कुल		24,965.82	26,210.95	27,141.45	30,932.08	34,908.75

(31.03.2025 तक के आंकड़े) (स्रोत: कारपोरेट डाटा प्रबन्ध प्रकोष्ठ)

कंपनियों ने या तो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के नाम विनिर्दिष्ट नहीं किए अथवा एक से अधिक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र निर्दिष्ट किए जहां परियोजनाएं शुरू की गई थीं।

लोक सभा में दिनांक 04.08.2025 को उत्तर देने के लिए नियत अतारंकित प्रश्न संख्या 2501 के भाग (क) का संदर्भ लें।

वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2023-24 तक राज्यवार सीएसआर व्यय

(राशि करोड रुपए में)

क्रम संख्या	विकास क्षेत्र	वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24
1.	कृषि वानिकी	67.38	20.90	35.52	67.28	74.47
2.	पशु कल्याण	106.12	193.55	174.35	325.44	531.14
3.	सशस्त्र बल, भूतपूर्व सैनिक, वीरांगनाएं / आश्रित	62.06	84.05	47.65	63.63	68.04
4.	कला और संस्कृति	933.57	493.13	260.39	449.21	704.04
5.	प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण	160.60	92.00	274.90	584.65	423.47
6.	शिक्षा	7,179.51	6,693.25	6,719.89	10,414.93	12,134.57
7.	पर्यावरणीय स्थिरता	1,470.53	1,030.16	2,441.82	2,008.04	2,429.97
8.	लैंगिक समानता	82.93	43.83	104.97	121.15	204.17
9.	स्वास्थ्य देखभाल	4,905.72	7,325.83	8,049.49	7,023.60	7,150.81
10.	आजीविका वृद्धि परियोजनाएं	1,077.72	938.91	880.50	1,703.64	2,360.09
11.	गरीबी, भूखमरी उन्मूलन, कुपोषण	1,159.71	1,407.58	1,903.78	1,282.73	1,233.93
12.	ग्रामीण विकास परियोजनाएं	2,301.02	1,850.71	1,847.07	2,059.41	2,408.09
13.	स्वच्छ पेयजल	253.40	203.13	192.34	252.78	327.45
14.	स्वच्छता	521.72	338.97	314.53	438.81	375.23
15.	वरिष्ठ नागरिक कल्याण	52.33	56.47	80.34	153.91	159.82
16.	महिलाओं के लिए घरों और छात्रावासों की स्थापना	48.50	44.52	101.00	49.50	41.80
17.	अनाथालय की स्थापना	36.50	21.88	27.54	44.99	31.57
18.	स्लम क्षेत्र विकास	42.94	88.95	58.38	94.22	38.82
19.	सामाजिक-आर्थिक समानता	214.88	149.81	165.30	159.19	200.81
20.	विशेष शिक्षा	196.88	209.24	191.08	319.50	396.57
21.	प्रौद्योगिकी इन्क्यूबेटर	53.50	62.62	8.57	1.48	1.91
22.	खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण	304.00	243.39	311.71	542.53	692.09
23.	व्यावसायिक कौशल	1,181.23	717.65	1,053.80	1,206.75	1,396.55
24.	महिला सशक्तिकरण	259.57	206.00	264.94	417.26	454.22
25.	केंद्र सरकार की अन्य निधियां	1,790.69	3,491.30	1,631.01	1,145.78	1,000.83
26.	एनईसी/उल्लेख नहीं किया गया*	502.79	203.14	0.59	1.65	68.32
कुल		24,965.82	26,210.95	27,141.45	30,932.08	34,908.75

(31.03.2025 तक के आंकड़े) (स्रोत: कारपोरेट डाटा प्रबन्ध प्रकोष्ठ)

कंपनियों ने या तो राज्य/संघ राज्य के नाम विनिर्दिष्ट नहीं किए अथवा एक से अधिक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विनिर्दिष्ट किए जहां परियोजनाएं शुरू की गई थीं।

\*\*\*\*\*